न्यायालय सं0–1

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थित–माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर),अध्यक्ष)

निर्देश याचिका सं0–176/2024

सौरभ पाण्डेय, आयु लगभग 33 वर्ष, पुत्र श्री विनय पाण्डेय, निवासी–ग्राम–मझौरा, पोस्ट–सेमरहाडी, थाना–घनघटा–संतकबीरनगर।

...याची।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा।
4. पुलिस अधीक्षक, गोंडा।

...विपक्षीगण

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री एम0 ए0 फरीदी,
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, श्री पंकज सिंह,

निर्णय

(द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर),अध्यक्ष)

यह निर्देश याचिका याची, **सौरभ पाण्डेय** द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित–10.07.2023, आदेश दिनांकित–22.07.2023, अपीलीय आदेश दिनांकित–04.08.2023 एवं रिवीजन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित–04.11.2023 (क्रमशः संलग्नक संख्या–8 लगायत 11) को निरस्त करने एवं परिणामी समस्त सेवालाभ दिलाये जाने हेतु दिनांक–29.01.2024 को प्रस्तुत की गयी।

प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित–10.07.2023 द्वारा विपक्षी सं0–4, पुलिस अधीक्षक, गोंडा ने याची को 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा आदेश दिनांकित 22.07.2023 द्वारा विपक्षी सं0–4, पुलिस अधीक्षक, गोंडा ने याची की निलम्बन अवधि 29.11.2021 से 16.12.2021 तक जो राशि वह प्राप्त कर चुके हैं, के अतिरिक्त कुछ न दिये जाने के आदेश पारित किये। अपीलीय आदेश दिनांकित–04.08.2023 द्वारा विपक्षी सं0–3, पुलिस उप महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र, गोंडा ने याची की अपील को निरस्त किया। पुनरीक्षण आदेश दिनांकित–04.11.2023 द्वारा विपक्षी सं0–2, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर, ने याची का पुनरीक्षण निरस्त किया।

तथ्यों के अनुसार, विपक्षी सं0–4, पुलिस अधीक्षक, गोंडा कार्यालय से कारण बताओ नोटिस दिनांकित–21.11.2022 निर्गत

करके, 15 दिन के अन्दर याची का स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसमें याची पर निम्न आरोप लगाया गयाः–

''जब याची वर्ष–2021 में क्षेत्राधिकारी सदर (वर्तमान में नगर) कार्यालय में बतौर आरक्षी नियुक्त थे, याची द्वारा दहेज हत्या/ एससी/एसटी एक्ट की विवेचना से संबंधित पत्रावलियों के रख रखाव का कार्य देखा जाता था। वादी श्री अनूप कुमार पासवान पुत्र श्री ननके निवासी उसरैना, बूढ़ा देवर, थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा मा0 न्यायालय में धारा 156(3) के अन्तर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना को0नगर गोण्डा पर मु0अ0सं0–736/2020 धारा 323/504/ 506/ 376/ 452/511 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 23.09.2022 को आवेदिका मधु दीक्षित व उसके पति अरविन्द कुमार दीक्षित निवासी उसरैना, बुढा देवर थाना को0नगर गोण्डा के विरूद्ध पंजीकृत होकर अभियोग की विवेचना श्री लक्ष्मीकान्त गौतम क्षेत्राधिकारी सदर गोण्डा द्वारा सम्पादित की गयी तथा अभियोग में धारा 376/452/511 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का अपराध न पाते हुए अभियोग से उक्त धाराओं को विलोपित करते हुए धारा 323/354/506 भा0द0वि0 व 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट का अपराध पाते हुए दिनांक 30.11.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में आवेदिका मधु दीक्षित द्वारा याची के विरूद्ध मुकदमा समाप्त कराने के नाम पर 70,000/– (सत्तर हजार रूपये) ले लिए जाने आदि कतिपय आरोप लगाते हुए प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण की जांच से रूपये पैसे के लेन–देन के संबंध में पुष्टि कारक साक्ष्य नहीं पाया गया है परन्तु आवेदिका से मुकदमा खतम कराने के नाम पर पैसे की मांग कर परेशान किये जाने की पुष्टि हुई है तथा उक्त मुकदमें में विवेचना अधिकारी के बिना संज्ञान में लाये ही याची द्वारा स्वेच्छापूर्वक धाराओं को विलोपित किया गया है। आवेदिका मधु दीक्षित उपरोक्त द्वारा उच्चाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर याची को निलम्बित किया गया था। निलम्बन अवधि के दौरान और बहाल होने के बाद भी याची द्वारा बिना किसी आदेश के स्वेच्छाचारिता कर क्षेत्राधिकारी सदर (वर्तमान में नगर) कार्यालय में कार्य किया गया अैर इसके लिए राजनैतिक दबाव भी बनवाया गया। याची द्वारा स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हुए विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर को नजरंदाज करते हुए बिना किसी आदेश निर्देश के विवेचनाओं में हस्तक्षेप कर असहज की स्थिति उत्पन्न की गयी है तथा याची द्वारा अपने पदीय दायित्वों से इतर उच्चाधिकारी को गुमराह करते हुए मनमाने ढंग से कार्य किया गया। जिसे लिए प्रकरण की प्रा0 जांच से याची को दोषी पाया गया है। याची का यह कृत्य, कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्दाचारिता, अकर्मण्यता एवं उदासीनता का द्योतक पाया गया।''

उक्त कारण बताओ नोटिस जांच आख्या की प्रति सहित याची को दिनांक 23.11.2022 को प्राप्त कराया गया जिसका याची द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 03.12.2022 को कार्यालय में प्राप्त कराया गया। उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात विपक्षी सं0–4, पुलिस अधीक्षक, जनपद गोंडा द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित–10.07. 2023 पारित करके याची को 30 दिवस वेतन के बराबर, अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा आदेश दिनांकित 22.07.2023 द्वारा याची को उसे निलम्बन अवधि में प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य राशि न दिये जाने के आदेश पारित

किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण भी निरस्त हुए।

याची का कथन है कि उसके विरूद्ध 03 आरोप लगाये गये जिसमें मधु दीक्षित व उसके पति से विचाराधीन मु0अ0सं0 736/2020 को खत्म कराने के नाम पर पैसे की मांग कर परेशन किया गया एवं बिना विवेचनाधिकारी को संज्ञान में लिये स्वेच्छाचारिता पूर्वक मु0अ0सं0 736/2020 की धाराओं को विलोपित किया गया तथा निलम्बन अवधि के दौरान और बहाल होने के बाद भी याची द्वारा बिना किसी आदेश के स्वेच्छाचारिता पूर्वक क्षेत्राधिकारी सदर (वर्तमान में नगर) कार्यालय में कार्य किया गया तथा इसके लिए राजनीतिक दबाव भी बनवाया गया एवं इस प्रकार उसने स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हुए विवेचक क्षेत्राधिकारी को नजरंदाज करते हुए बिना किसी ओदश/निर्देश के विवेचनाओं में हस्तक्षेप कर असहज स्थिति उत्पन्न की।

याची के कथनानुसार पहले मु0अ0सं0 736/2020 धारा 323/504/506/376/452/511 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की मुल्जिम मंधू दीक्षित द्वारा माया पाठक नामक महिला के विरूद्ध इस मुकदमें को खत्म कराने हेतु 70 हजार रूपये लेने की पुलिस विभाग में लिखित रूप से शिकायत दिनांक 25.08.2021 को की गयी, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के आदेश करने पर क्षेत्राधिकारी सदर गोंडा लक्ष्मी कान्त गौतम द्वारा पुलिस को रूपये दिये जाने के आरोप को रिपोर्ट दिनांक 25.09.2021 द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया, इसके पश्चात उक्त मधु दीक्षित ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोंडा को दिनांक 25.11.2021 को इसी मुकदमें को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में याची को 35–35 हजार दो बार में कुल 70 हजार रूपये देने एवं उक्त मुकदमा समाप्त न करने तथा मधु दीक्षित के पति अरविन्द कुमार होमगार्ड को याची द्वारा निलम्बित कराने की शिकायत की।

माया पाठक को रूपये देने के सम्बन्ध में जांच में मधु दीक्षित ने अपने बयानों में यह कथन किया कि उसे आशंका है कि अधिकारियों के नाम पर पैसे लेकर माया पाठक ने अपने पास रख लिये। मधु दीक्षित ने स्पष्ट बयान दिया कि उससे किसी पुलिस अधिकारी ने कोई रूपया नहीं मांगा और न ही किसी पुलिस अधिकारी को कोई पैसा उसके या उसके पति द्वारा दिया गया। इस प्रकार जब सक्षम जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी सदर गोंडा के समक्ष श्रीमती मधु दीक्षित ने किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई भी रूपया दिये जाने से इन्कार किया तो मधु दीक्षित माया पाठक को रूपये प्राप्त कराने के दोषी नहीं पाये जाने पर याची पर वही आरोप लगाने से बाधित हैं एवं जब कोई धनराशि स्वयं मधु दीक्षित के अनुसार

किसी पुलिस अधिकारी ने उससे कोई रूपया नहीं मांगा एवं उसने किसी पुलिस अधिकारी को कोई धनराशि नहीं दी तो मुकदमा खतम कराने के लिए याची द्वारा मधु दिक्षित से पैसे मांगकर परेशान किये जाने का आरोप गलत हो जाता है।

जहां तक अपराध से धाराओं को विलोपित कराने का प्रश्न है उक्त धाराएं मात्र विवेचनाधिकारी द्वारा ही विलोपित की जा सकती है तथा स्वीकृत रूप से याची कथित मुकदमें का विवेचक नहीं था वह तो मात्र एक आरक्षी था। उक्त मुकदमा संख्या 736/2020 के विवेचक श्री लक्ष्मी कांत गौतम ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांकित 25.09.2021 में यह अंकित किया कि उक्त मुकदमें की विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की गयी तथा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 163 तथा 164 सीआरपीसी लिये गये तथा अन्य संकलित साक्ष्य/गवाहों आदि के आधार पर विवेचन में मार पीट होना पाया गया जिस कारण धारा 376, 452, 511 भादवि व 3(2) (5) एससी/एसटी का अपराध न पाते हुए इन्हें अभियोग से विलोपित किया गया एवं धारा 323, 354, 506 भादवि व 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्त का अपराध पाते हुए उन्हें दिनांक 30.11.2020 को आरोप पत्र प्रेषित करके विवेचना समाप्त की गयी। जिससे स्पष्ट है कि विवेचक श्री लक्ष्मी कांत गौतम क्षेत्राधिकारी सदर गोंडा ने स्वीकार किया कि आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर धारा 376, 452, 511 आईपीसी व 3(2) (5) एससी/एसटी का अपराध न पाते हुए अभियोग से विलोपित किया गया।

जहां तक निलम्बन अवधि के दौरान एवं बहाल होने के बाद भी बिना किसी आदेश के स्वेच्छाचारिता करके क्षेत्राधिकारी सदर गोंडा (वर्तमान में नगर) कार्यालय में कार्य करने का प्रश्न है और इसके लिए राजनैतिक दबाव बनवाये जाने का आरोप है राजनैतिक दबाव बनवाये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं निलम्बन एवं बहाली के बाद भी बिना किसी ओदश के क्षेत्राधिकारी सदर के कार्यालय में कार्य करने का जहां तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में लक्ष्मी कांत गौतम, क्षेत्राधिकारी सदर (वर्तमान में नगर) को जांच में साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया गया तथा इस सम्बन्ध में कथित लक्ष्मी कांत गौतम, क्षेत्राधिकारी सदर गोंडा के विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं की गयी। याची के किसी भी काम से सरकार को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ। आदेश दिनांकित 22.07.2023 द्वारा याची के निलम्बन अवधि के वेतन भत्ते न दिये जाने के सम्बन्ध में याची को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उसे सुनवाई का कोई मौका ही इस सम्बन्ध में दिया गया। प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 10.07.2023 एक मौन आदेश है जिसमें याची के स्पष्टीकरण को विचार में नहीं लिया गया। अतः

प्रश्नगत आदेश दिनांकित–10.07.2023, 22.07.2023 तथा अपीलीय आदेश दिनांकित 04.08.2023 व पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 04.11.2023 निरस्त होने योग्य हैं एवं याची परिणामी समस्त सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

विपक्षी पक्ष से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याची पक्ष के तर्कों का विरोध किया गया तथा कहा गया कि याची के विरूद्ध जांच में उस पर लगाये गये आरोप का वह दोषी पाया गया। प्रश्नगत आदेश विस्तृत, मुखरित एवं सकारण पारित आदेश है जिसमें किसी नियम व कानून एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः प्रश्नगत आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन करने के पश्चात् मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचती हूँः–

स्वीकृत रूप से मु0अ0सं0 736/2020 धारा 323/504/ 506/ 376/ 452/511 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की अभियुक्ता द्वारा याची को 70 हजार रूपये उत्कोच दिया गया है ऐसा जांच में ही सिद्ध नहीं हो पाया है। पहले समान आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमती मधु दीक्षित द्वारा श्रीमती माया पाठक को 70 हजार रूपये देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा को दिया गया था जिसमें प्रारम्भिक जांच में श्रीमती मधु दीक्षित ने स्वयं यह बयान दिया कि उसने माया पाठक को 70 हजार रूपये उधार मांगकर कथित मुकदमें को समाप्त करने हेतु दिये थे उसे आशंका है कि अधिकारियों के नाम पर पैसे लेकर माया पाठक ने अपने पास पैसा रख लिया है। श्रीमती मधु दीक्षित ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उससे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा न कोई रूपया मांगा गया और न ही कोई रूपया उसके द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया। मधू दीक्षित द्वारा माया पाठक पर लगाये गये आरोप जांच में दिये गये बयानों के आधार पर सही नहीं पाया गया। मधु दीक्षित द्वारा अपने बयान में यह नहीं कहा गया कि 70 हजार रूपये उससे याची ने मांगे एवं उक्त रूपयों के न मिलने पर याची ने मधु दक्षित को परेशान किया। मधु दीक्षित द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि उसने किसी भी पुलिस अधिकारी को न तो कोई रूपया दिया और न किसी पुलिस अधिकारी ने उससे कोई रूपया मांगा। इस प्रकार जब स्वयं मधु दीक्षित के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी ने उससे रूपये नहीं मांगे तो रूपये न मिलने पर याची द्वारा माधु दीक्षित को परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे स्पष्ट है कि याची पर लगाया गया आरोप कि रूपयों के लिए उसके द्वारा श्रीमति मधु दीक्षित को परेशान किया गया, कदापि बलयुक्त नहीं कहा जा सकता।

जहां तक याची द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 736/2020 से धाराएं विलोपित करने का प्रश्न है स्वीकृत रूप से याची घटना के समय एक आरक्षी था तथा मुकदमें की विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर श्री लक्ष्मी कांत गौतम द्वारा की जा रही थी जिन्होंने श्रीमती मधु दीक्षित द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट दिनांकित 25.09.2021 में यह स्पीकार किया है कि वह इस मुकदमें का विवेचक था तथा विवेचना के दौरान गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 376, 452, 511 आईपीसी एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का आरोप सिद्ध न होने पर उक्त धाराओं का विलोपन कर उसके द्वारा धारा 323, 504, 506 आईपीसी 3(1) द, ध एससी/एसटी का आरोप प्रमाणित पाने पर आरोप पत्र प्रेषित करके विवेचना समाप्त की गयी। इस प्रकार स्वयं विवेचक के कथनों के आधार पर याची के विरूद्ध यह आरोप भी सिद्ध नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा बिना विवेचना अधिकारी के संज्ञान में लिये स्वेच्छाचारितापूर्वक अपराध से धाराओं का विलोपन किया गया।

जहां तक याची द्वारा निलम्बन अवधि एवं उसके बहाल होने के बाद भी बिना किसी आदेश के स्वेच्छाचारिता करके क्षेत्राधिकारी सदर (वर्तमान में नगर) के कार्यालय में कार्य किये जाने का प्रश्न है एवं उसके लिए राजनीतिक दबाव बनाये जाने का भी आरोप है। राजनीतिक दबाव याची द्वारा किस व्यक्ति पर एवं किस के द्वारा कब बनाया गया इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं स्वीकृत रूप से क्षेत्राधिकारी सदर के कार्यालय में याची द्वारा निलम्बन अवधि के दौरान एवं बहाली के बाद भी बिना किसी आदेश के कार्य करने का प्रश्न है याची द्वारा इस सम्बन्ध में अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि उसे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से पुलिस लाईन से क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में सम्बद्ध किया गया था तथा प्रतिसार निरीक्षक के आदेश के उपरांत ही याची रवानगी करके क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में कार्य कर रहा था।

एक ओर जहां जिस क्षेत्राधिकारी नगर के कार्यालय में याची द्वारा निलम्बन के दौरान एवं बाद निलम्बन बिना किसी अधिकारी के कार्य कारना कहा गया उस क्षेत्राधिकारी नगर को जांच में बतौर साक्षी तलब नहीं किया वहीं याची के स्पष्टीकरण के इस कथन को कि वह तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से पुलिस लाईन में क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में सम्बद्ध किया गया था इस सम्बन्ध में दण्डादेश दिनांकित 10.07.2023 में दण्डाधिकारी पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा कोई कथन एवं विवेचना अंकित नहीं की गयी तथा इस बात से कदापि इन्कार नहीं किया गया कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश याची हेतु, पारित नहीं किया था। इस प्रकार प्रश्नगत आरोप के सम्बन्ध में जहां याची के विरूद्ध कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है वहीं

पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के इतर याची के विरूद्ध प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया गया है जिसमें याची के स्पष्टीकरण को कदापि विचारित नहीं किया गया है। आदेश दिनांकित 22.07.2023 जिसके द्वारा याची को निलम्बन अवधि का वेतन व भत्ता न दिये जाने के आदेश पारित किये गये है इस आदेश को पारित करने से पूर्व याची को सुनवाई का कोई मौका दिया गया हो अथवा याची को सुना गया हो ऐसा पत्रावली से स्पष्ट नहीं है जबकि याची के कथनानुसार उसे उक्त आदेश पारित करने के पूर्व कदापि नहीं सुना गया। इस सम्बन्ध में याची पक्ष से नजीर State Bank of India and others Versus D.C. Aggarwal and another (1993) SCC (L&S) 109 को पेश किया जिसके अनुसार कोई भी दण्डादेश पारित करने से पूर्व यदि आरोपी को बचाव को मौका नहीं दिया गया है तो पारित दण्डादेश कायम रहने योग्य नहीं है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 10.07.2023, आदेश दिनांकित 22.07.2023, अपीलीय आदेश दिनांकित 4.08.2023 एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 4.11.2023 को अकारण एवं अमुखरित आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य पाती हूँ। याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याची की निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित–10.07.2023, आदेश दिनांकित–22.07.2023, अपीलीय आदेश दिनांकित–04.08.2023 एवं रिवीजन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित–04.11.2023 (क्रमशः संलग्नक संख्या–8 लगायत 11) निरस्त किये जाते हैं। इन आदेशों के कारण याची का जो भी सेवा लाभ रोका गया है उक्त सेवा लाभ याची को देय होगा। विपक्षीगण इस आदेश का अनुपालन इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर)
(अध्यक्ष)

निर्णय आज खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर)
(अध्यक्ष)

दिनांकः अप्रैल 25,2025
वी0के0पटेल/पी0ए0